THE RESEARCH DIALOGUE
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
© The Research Dialogue | Volume-05 | Issue-01 | April-2026
Available online at: https://theresearchdialogue.com/
DOI : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i1.14

बालश्रम और सामाजिक वंचना : विद्यालय न जाने वाले बालक के जीवन अनुभवों का साक्षात्कारात्मक अध्ययन

डॉ0 पूनम देवी
असि0 प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र), ज्वाला देवी विद्यामन्दिर पी0जी0 कॉलेज, कानपुर
Email: drpunam3@gmail.com

शोधसार

वर्तमान समाज में बालश्रम एक गम्भीर सामाजिक समस्या के रूप में विद्यमान है अनेक बच्चे आर्थिक, सामाजिक एवं पारिवारिक कारणों से विद्यालय नहीं जा पाते और श्रम में संलग्न हो जाते है जिस कारण से बच्चें के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समग्र विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बाल्यावस्था जीवन का वह महत्वपूर्ण चरण है जिसमें शिक्षा खेल एवं नैतिक विकास के माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण होता है किन्तु जब बच्चे आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो जाते है तो उनका सर्वांगीण विकास बाधित हो जाता है । प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य विद्यालय न जाने वाले कार्यरत बालकों का साक्षात्कार के माध्यम से उनकी सामाजिक वंचनाओं को समझना है। अध्ययन गुणात्मक पद्धति पर आधारित है तथा इसमें साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया है। निष्कर्षो से स्पष्ट है कि गरीबी, पारिवारिक संकट, अशिक्षा एवं सामाजिक असमानता बालक के विद्यालय न जाने के प्रमुख कारण है। यह शोध पत्र कार्यरत बालकों का साक्षात्कार के माध्यम से सामाजिक वंचनाओं की वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास करता है।

संकेत शब्दः– सामाजिक वंचना, साक्षात्कार, गुणात्मक, बालश्रमिक, अमानवीय, उन्मूलन, नैसर्गिक, शोषण

प्रस्तावना :–

किसी देश की समृद्धि और उसकी सम्पन्नता प्रतीक होता है वहॉ का हंसता–खेलता, फलता–फूलता बचपन। यह बचपन होता है उस देश का बच्चा। इन्हीं बच्चों के सहारे उस देश का भविष्य टिका होता है और उन्ही पर देख की खुशहाली निर्भर करती है। हमारे देश का गठन व्यक्तिशः इकाई न होकर पारिवारिशः इकाई के आधार पर हुआ है।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तानुसार बालक का बचपन प्रकृति का वरदान है और उस बचपन को छीनने का हक किसी को भी नही है। कच्ची उम्र में बच्चो को काम पे लगा देने से उनका नैसर्गिक शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता है, और इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान की उनकी क्षमता का ह्रास तो होता ही है उसकी भावी सन्ताने भी विपरीत रूप से प्रभावित होती है । स्वास्थ की दृष्टि से भी यह प्रथा एक आत्मघाती प्रथा भी कही जा सकती है, जिसके चलते देश के भावी कर्णधार शारीरिक व मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पाते। फलस्वरूप देश में स्वास्थ्य की समस्या

विकराल हो उठती है। बालश्रम का उपयोग सामान्यतः बुरा नहीं होता है किन्तु जिन परस्थितियों एवं शर्तो पर इन्हें काम पर लगाया जाता है वह बुरा है । वे बच्चे जो 14 वर्ष या उससे कम आयु में ही रोजगार में संलग्न है तथा विकास के लिए उपलब्ध सुविधाओं से वंचित हैं उन्हें बाल श्रमिक कहा जाता है। बाल श्रमिक दो प्रकार के हैं प्रथम प्रकार में वे बच्चे आते है जो अपने अभिभावक के साथ उनके कार्यो में हाथ बटाते हुए काम सीखते है। दूसरे वे बच्चे आते हैं जो अपनी तथा परिवार की अजीविका के लिए अथवा आय वृद्वि के लिए श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। वास्तव में दूसरे प्रकार के बालश्रमिक ही वास्तविक बाल श्रमिक की परिभाषा मे आते है। इनका शारीरिक एवं मानसिक शोषण होता है तथा ये शिक्षा से वंचित रह जाते है।

International Labour Organization के अनुसार ''बालश्रम वह कार्य है, जो बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप शिक्षा से वंचित करता है तथा उनके शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए हानिकारक होता है । इसी प्रकार Unicef ने भी बालश्रम को बाल अधिकारों के उल्लंघन के रूप में चिन्हित किया है।

बालश्रम का उद्भव तब हुआ जब पूंजीवादी वर्ग द्वारा मुनाफा बढ़ाने के उद्देश्य से मजदूरों के बच्चों का सामाजिक एवं अमानवीय शोषण किया गया। जहॉ अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था की मजबूती हेतु दास प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ वहीं पूंजीवादी के जन्मदाता देश इंग्लैण्ड से लेकर प्रायः सभी पूंजीवादी देशों में बालश्रमिकों का ऑकडा निरन्तर बढ़ता गया इसी स्वार्थवश सामन्ती काल में बालश्रम को सामाजिक बुराई के रूप में नहीं देखा गया। कालमार्क्स ने कहा था कि ''बालश्रम पूंजीवादी व्यवस्था का अभिन्न अंग है नई तकनीक सस्ते व अकुशल मजदूरों की मांग करती है। बेरोजगारी के कारण बच्चे भी औधोगिक श्रमिको के संचित दल का हिस्सा बन जाते है।

सरकारी ऑकडों के अनुसार इस समय भारत में लगभग 2 करोड़ बालश्रमिक है जबकि बड़ौदा के आर्गनाइजेशन रिसर्च ग्रुप के अनुसार देश में 4 करोड 40 लाख बाल श्रमिक हैं। जिन परिस्थितियों में बाल श्रमिक कार्यरत है वह स्थिति वास्तव में भयावह है खेलने कूदने की इस उम्र में ये बच्चें पुरूषों के कार्य के घण्टे से दुगने घंण्टे कार्य करते हैं अर्थात 12 घण्टें से 16 घण्टे कार्य करते है। ये बाल श्रमिक खेल खलिहानों से लेकर होटलों पर, धरेलू नौकरों के रूप में, बूट पालिस करते हुए, ईंट भट्टों पर कालीन उद्योगों में, माचिस एवं बीड़ी बनाते हुये, कांच उद्योग में, साइकिल एवं मोटर साइकिल रिपेयरिंग सेन्टरों पर आसानी से देखे जा सकते हैं। ऐसा कोई उद्योग नही हैं जहॉ काम करने पर इन बच्चों को भयंकर रोग जैसे टी0वी0, कैंसर, चर्मरोग, ऑखों की रोशनी कम होना, खांसी, सरदर्द आदि बिमारियॉ न हो। बिमारी हालत में काम पे जाने पर ठेकेदार इनके पैसे काट लेता है । सुबह से शाम तक काम करने वाले इन बच्चों को सूखी रोटी के सिवाय कुछ नहीं मिलता।

1853 में इंग्लैण्ड के चार्टिस्ट आन्दोलन ने सर्वप्रथम बालश्रम की अमानवीय प्रकिया की ओर सारे विश्व का ध्यान आकृष्ट किया। भारत में 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस तथा समाज सुधारकों के द्वारा मांग करने पर ब्रिटिश सरकार ने बाल मजदूर अधिनियम बनाया। 1986 में बाल मजदूर प्रतिबन्ध व नियमन कानून बनाया गया तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) जैसी योजना चालाई गई, फिर भी समस्या पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाई।

शिक्षा का अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु Right of children to free and compulsory education act लागू किया गया, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है इसके बावजूद अनेक बच्चे आर्थिक मजबूरियों के कारण विद्यालय छोड़कर कार्य में संलग्न हो जाते है।

बालश्रम न केवल व्यक्तिगत विकास को बाधित करता है, बल्कि यह राष्ट्र की मानव संसाधन क्षमता को भी प्रभावित करता है, इसलिए यह आवश्यक है कि इस समस्या का अध्ययन सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक आयामों से किया जाए, ताकि इसके मूल कारणों, की पहचान कर प्रभावी समाधान प्रस्तुत किए जा सके।

अध्ययन के उद्देश्य (objecitve)

1. बाल श्रमिक बच्चों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना ।
2. विद्यालय न जाने के कारणों की पहचान करना।
3. बच्चों के जीवन अनुभवों का साक्षात्कार के माध्यम से विश्लेषण करना।
4. बालश्रम और सामाजिक वंचना के बीच सम्बन्ध का अध्ययन करना।
5. सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से निष्कर्ष प्रस्तुत करना।

शोध प्रश्न–

1. नाम (वैकल्पिक)–
2. आयु –
3. लिंग ( ) लडका ( ) लडकी ( )–
4. कार्य का प्रकार (काम)–
5. प्रतिदिन कार्य के घंटे –
6. परिवार में सदस्यो की संख्या –

भाग –2 शिक्षा से संबंधित जानकारी

7. क्या आपने कभी स्कूल में प्रवेश लिया था ?
   ( )हॉ ( ) नही
8. यदि हॉ तो किस कक्षा तक पढ़े ?
9. आपने स्कूल क्यों छोडा ?
   ( ) गरीबी
   ( )काम करने की मजबूरी
   ( )परिवार का दबाव
   ( )स्कूल की दूरी
   ( )अन्य
10. क्या आप आगे पढ़ना चाहते हैं? क्यो ?

भाग –3 जीवन अनुभव (मुख्य भाग)

11. आप रोज क्या काम करते हैं ?
12. काम करते समय आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?
13. क्या आपको कभी शोषण या बुरा व्यवहार झेलना पड़ा ?
14. आपके जीवन में सबसे बडी समस्या क्या है ?
15. क्या आपको खेलने या आराम करने का समय मिलता है ?

भाग– 4 सामाजिक वंचना

16. क्या आपको समाज में बराबरी का व्यवहार मिलता है ?

( ) हॉ ( ) नही

17. क्या आपको कभी भेदभाव का सामना करना पडा ?

18. क्या आपके पास शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य सुविधाएँ उपलब्ध है ?

भाग–5 भावनात्मक एवं भविष्य दृष्टिकोण

19. आपका सबसे बडा सपना क्या है ?

20. यदि आपको मौका मिले तो आप क्या बनना चाहेगें?

21. आप अपने जीवन में क्या बदलाव चाहते है ?

परिकल्पना (Hypothesis)

1- HO (शून्य परिकल्पना) बाल श्रम और सामाजिक वंचना के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नही है।

2. H1 (वैकल्पिक परिकल्पना) बाल श्रम और सामाजिक वंचना के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।

अनुसन्धान विधि (Methodology)

अनुसन्धान प्रकार प्रस्तुत शोध पत्र में वर्णनात्मक एवं क्षेत्रीय अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया है ।

न्यादर्श –वर्तमान शोधपत्र हेतु 30 बाल श्रमिक (आयु 08–14 वर्ष) को शामिल किया गया है।

क्षेत्र–शहरी/अर्द्धशहरी क्षेत्र (कानपुर)

न्यादर्श चयन विधि – उददेश्य पूर्ण विधि (Purposive Sampling)

नैतिक सावधानी– शोधकर्ती विषयी से सूचनाएं एकत्र करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा ।

1. अभिभावक की अनुमति लेना।
2. बाल श्रमिकों का वास्तविक नाम गोपनीय रखना ।
3. संवेदनशील प्रश्नों में सावधानी बरतना ।

डेटा संग्रह के उपकरण (Tools)

1. इस शोधपत्र में साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया है इसमें शोधकर्ती ने विषयी से स्वानिर्मित प्रश्नावली के आधार पर साक्षात्कार किया है साक्षात्कार के आधार पर उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक प्रष्ठभूमि को जानने का प्रयास किया है।

डेटा विश्लेषण (Statistical Analysis)

तालिका सं0 1

(**A**) बालश्रमिको का आयु के अनुसार वितरण

आयु वर्ष	**बालश्रमिको की सं0**	**प्रतिशत (%)**
8–10 वर्ष	08	26.67(%)
11–12 वर्ष	12	40(%)
13–14 वर्ष	10	33.33(%)
कुल	**30**	**100(%)**

तालिका सं0 2

(**B**) बालश्रमिकों के विद्यालय न जाने के कारण :–

कारण	**बालश्रमिको की संख्या**	**प्रतिशत (%)**
गरीबी	14	46.67(%)
परिवार का दबाव	08	26.67(%)
रूचि की कमी	03	10(%)
अन्य	05	16.67(%)

तालिका सं0 3

(**C**) बालश्रमिकों के कार्य का स्वरूप/प्रकार :–

कार्य का स्वरूप प्रकार	**बालश्रमिको की संख्या**	**प्रतिशत (%)**
होटल/ढाबा पर काम करने वाले बालक/बालिका	10	33.33(%)
घरेलू काम करने वाले बालक/बालिका	07	23.33(%)
मजदूरी करने वाले बालक /बालिका	09	30(%)
अन्य कार्य करने वाले बालक/बालिका	04	10(%)

साक्षात्कार आधारित निष्कर्ष :–

1. परिवार की अपर्याप्त आय (गरीबी) विद्यालय छोड़ने का प्रमुख कारण।
2. अधिकांश बच्चों ने बताया कि वे परिवार की आय बढ़ाने के लिए काम करते है।
3. शिक्षा का अधिकार RTE लागू होने के बावजूद संसाधनों की कमी के कारण बालक शिक्षा से दूर ।
4. निम्नवर्गीय (अशिक्षित एवं गरीब) परिवार से होने के कारण अवसरो की कमी।
5. कई बालक/बालिकाओं ने विद्यालय जाने की इच्छा व्यक्त की।
6. सामाजिक भेदभाव और उपेक्षा का अनुभव भी सामने आया ।
7. कुछ बालक एवं बालिकाओं ने शारीरिक एवं मानसिक शोषण की भी बात कही ।
8. कम उम्र में जिम्मेदारी का बोझ, तनाव एवं भविष्य की अनिश्चतता जैसे मानसिक दबाव की स्थिति भी सामने आयी ।

सांख्यिकीय परीक्षण :–

बालश्रम और सामाजिक वंचना के बीच सम्बन्धों को जॉचने हेतु [Chi-Square] (x^2) परीक्षण किया गया ।

सूत्र

$$\chi^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E}$$

जहॉ 0 = वास्तविक मान

E = अपेक्षित मान

Σ = सभी वर्गों का योग

गणना के बाद पाया गया – x^2 का मान = 9.20 आता हैं जो स्वतंत्रता की डिग्री (df): 3 तथा 0.05 सार्थकता स्तर(Significance level) पर ची–एक्वायर का सारणी मान (Table Value) 7.815 से अधिक है। इसलिए परिकल्पना (HO) बालश्रम और सामाजिक वंचना के बीच कोई महत्वपूर्ण सम्बन्ध नही अस्वीकृत होती है और परिकल्पना (H1) बालश्रम और सामाजिक वंचना के बीच महत्वपूर्ण सम्बन्ध है स्वीकार की जाती है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि :–

1. गरीबी बालश्रम का मुख्य कारण है ।
2. सामाजिक वंचना शिक्षा से दूरी को बढाती हैं
3. अधिकांश बच्चे शिक्षा प्राप्त करना चाहते है।
4. कार्य के कारण उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास प्रभावित होता है।

सुधार हेतु सुझाव :–

1. सरकार को बालश्रम उन्मूलन के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए।
2. विधालयों में निःशुल्क पुस्तके, वर्दी, छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए।
3. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को प्रभावी बनाना चाहिए ।
4. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकारी सहायता दी जानी चाहिए। ।
5. समुदाय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।
6. पुनः नामांकन (Re- Enrolment) की व्यवस्था होनी चाहिए।
7- **NGO's** की भूमिका को बढावा दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष :–

इस प्रकार यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि बालश्रम केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक वंचना का परिणाम भी है। सामाजिक वंचनाए जैसे गरीबी, अशिक्षा, परिवारिक संकट एवं सामाजिक असमानता बच्चो को शिक्षा से वंचित कर श्रम में धकेल देती है। यदि शिक्षा आर्थिक सहायता और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया जाए तो इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची :–

1. National Labour Organization [2021] child Labour Report .
2- https://www.unicef.org
3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (2018) भारत में बालश्रम की स्थिति पर प्रतिवेदन, नई दिल्ली NHRC.
4. भार्गव गोपाल – चाइल्ड लेबर इन इण्डिया (2003) ज्ञान पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली
5. गुप्ता, एस0पी0– बालश्रम एक सामाजिक अभिशाप, (2018) पॉइन्टर पब्लिकेशन, जयपुर (राजस्थान) 302003
6. प्रसाद, राजेन्द्र (2006) बालश्रम और शिक्षा, अविष्कार पब्लिकेशन जयपुर 302003
7. आशारानी – (2020) बालश्रम उन्मूलन की नीतियां, राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली 110002

Cite this Article:

देवी. डॉ. पूनम, "बालश्रम और सामाजिक वंचना: विद्यालय न जाने वाले बालक के जीवन अनुभवों का साक्षात्कारात्मक अध्ययन" The Research Dialogue, Open Access Peer-reviewed & Refereed Journal, Pp-120–126,Volume-05, Issue-01, April-2026, https://theresearchdialogue.com/

This is an Open cess Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

डॉ0 पूनम देवी

For publication of Research Paper title

बालश्रम और सामाजिक वंचना : विद्यालय न जाने वाले बालक के जीवन अनुभवों का साक्षात्कारात्मक अध्ययन

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-05, Issue-01, Month April, Year-2026, Impact Factor (RPRI-4.73)

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor- In-chief

Dr. Neeraj Yadav
Executive-In-Chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://theresearchdialogue.com/

DOI : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i1.14